

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या – 193 /NG/2020/Engg/SPJ

श्री राजू कुमार, पुत्र श्री प्रभु साह हलुवाई/ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन व०अनु०अभि०/रेल पथ/जपला(पश्चिम)/डी.डी.यू. मंडल/पूर्व मध्य रेलवे के साथ श्री सुरजकांत सिंह, पुत्र श्री रघुवंश सिंह, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01, अधीन सिसेई(रेल पथ)/बापूधाम मोतिहारी, समस्तीपुर मंडल के साथ स्वयं के अनुरोध पर अन्तर मंडलीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री राजू कुमार, पूर्व मध्य रेलवे/डी.डी.यू. मंडल के पत्र संख्या:- का/स्था०/इंजी०/ट्रैकमेन्टेनर/अं०मं०पार०स्थानां०/20, डीडीयू दिनांक 13.03.2020 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 16.03.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमेन्टेनर-IV के पद पर सिसेई(रेल पथ)/बापूधाम मोतिहारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 16.03.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षारत रहे हैं।

उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री सुरजकांत सिंह, पुत्र श्री रघुवंश सिंह, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01, अधीन सिसेई(रेल पथ)/बापूधाम मोतिहारी, इस कार्यालय के पत्र सं० का/283/इंजी/ज.वि.प्र./पार.स्था./सम./19/पार्ट-1, दिनांक 17.02.2020 के द्वारा डीडीयू मंडल हेतु विरमित किये जा चुके हैं।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री राजू कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Raju Kumar



मंडल कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर
सं०- का/283/इंजी/ज.वि.प्र./पार.स्था./सम./19/पार्ट-1

(आर. आर. लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

दिनांक 19.03.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक(का०)/पूर्व मध्य रेलवे/डी.डी.यू., पिन कोड-232101, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिज्ञानोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. समई/बापूधाम मोतिहारी
5. सिसेई/रेल पथ/बापूधाम मोतिहारी-कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
6. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी० बिल-कार्यालय में।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर